राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्
भारत सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14 जुलाई, 2010

1. दिनांक 14 जुलाई, 2010 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।

2. बैठक में जिन सदस्यों ने भाग लिया उनमें प्रो0 एम.एस.स्वामीनाथन, संसद सदस्य, डॉ.राम दयाल मुण्डा, संसद सदस्य, प्रो0 नरेन्द्र जाधव, प्रो0 प्रमोद टण्डन, डॉ. जीन ड्रेजे, सुश्री अरुणा रॉय, श्री माधव गाडगिल, श्री एन. सी. सक्सेना, डॉ. ए.के. शिव कुमार, श्री दीप जोशी, सुश्री अनु आगा, सुश्री फराह नक़वी, श्री हर्ष मंदेर और सुश्री मीरई चटर्जी, शामिल थे। इनके अलावा, श्रीमती रीता शर्मा, सचिव-एनएसी, श्री के. राजू, संयुक्त सचिव-एनएसी और श्री धीरज श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी-एनएसी भी बैठक में उपस्थित थे।

3. अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया।

4. प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कार्यदल ने एक प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कार्यदल के प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नलिखित पर अपनी सहमति व्यक्त कीः

4.1 हालांकि देशभर में खाद्यान्न हकदारियों का समयबद्ध सार्वभौमीकरण करना वांछनीय हो सकता है, लेकिन पहले साल में एक चौथाई सर्वाधिक उपेक्षित जिलों अथवा ब्लॉकों में शुरुआती सार्वभौमीकरण की सिफारिश की जाती है, जहां प्रत्येक परिवार 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न पाने का हकदार है।

4.2 शेष जिलों/ब्लॉकों में, अलग-अलग हकदारियों (मात्रा और निर्गम कीमत के रूप में) के साथ सार्वभौम पीडीएस की कवरेज का एक उचित समयावधि में देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी कमजोर समूहों के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न और अन्य सभी के लिए समुचित दर पर 25 कि.ग्रा. खाद्यान्न की गारंटी होगी। एक श्रेणी ऐसी भी होगी जिसे पारदर्शी और सत्यापनीय मापदण्ड के आधार पर अलग रखा जाएगा। इस मौलिक कार्यतंत्र के और अधिक ब्यौरे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा तैयार किए जाएंगे।

4.3 शहरी क्षेत्रों में, पात्र परिवार (हाशिम समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए मापदण्ड के आधार पर चिह्नित), जिनमें झोपड़-पट्टी में रहने वाले और बेघर लोग भी शामिल हैं, 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.की दर से प्रतिमाह 35 कि.ग्रा.खाद्यान्न के हकदार होंगे।

4.4 शेष जिलों/ब्लॉकों में गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए मौजूदा आबंटनों में कटौती नहीं की जानी चाहिए।

4.5 शिशुओं, पूर्व-स्कूली बच्चों, स्कूली बच्चों, कल्याण होस्टल विद्यार्थियों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, बेघर और बेसहारा बच्चों, बेघर लोगों, वृद्ध, अशक्त और अपंग व्यक्तियों और टी.बी. तथा एचआईवी/एड्स, कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक किचन और निराश्रितों को भोजन देने सहित व्यापक पोषाहार समर्थक योजनाएं सारे देश में शुरू की जाएंगी।

5. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कार्यदल कृषि उत्पादन बढ़ाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद व्यवस्था में सुधार लाने, समेकित बाल विकास योजना में सुधार लाने, मातृत्व लाभ, सामुदायिक किचन और निराश्रितों को भोजन देने के उपायों पर और आगे कार्य शुरू करेगी। परिषद् भूल-चूक, पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं पर गौर करेगी।

6. कार्यदल इस कार्यतंत्र के आधार पर एक मसौदा विधेयक तैयार करेगा।

7. सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर कार्यदल ने अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जिनमें प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। इस बात पर जोर दिया गया कि इस

विधेयक का उद्देश्य न केवल राज्य और केन्द्र सरकार को सशक्त बनाना है बल्कि लोक प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है ताकि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी हिंसा, जो नागरिकों की शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानव सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, राष्ट्र की एकता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा पैदा करती है, को रोका जा सके और उस पर लगाम लगाई जा सके; जांच और अभियोजन करने में तेजी लाई जा सके और सांप्रदायिक तथा कट्टरपंथी अपराधों में शामिल लोगों को दण्डित किया जा सके; पीड़ितों और जीवित बचे लोगों को न्याय और सुरक्षा दी जा सके; व्यापक बचाव, राहत, पुनर्वास मुआवजा, क्षतिपूर्ति और हानिपूर्ति के लिए पीड़ितों और जीवित बचे लोगों के अधिकारों की गारंटी दी जा सके।

8. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने इन सिद्धांतों का समर्थन किया।

9. यह महसूस किया गया कि मौजूदा मसौदा विधेयक उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है और इसमें वे कई बातें शामिल नहीं हो सकीं जो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। इन कुछ जरूरी बातों में शामिल हैं, कानून के दायरे को बढ़ाकर उसमें कट्टरपंथी हिंसा, नए अपराधों की परिभाषा, राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन, लोक प्राधिकारियों की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, बचाव से लेकर हानिपूर्ति तक के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड निर्धारित करना, मुआवजे के मानदण्डों का विस्तार से उल्लेख करना और पीड़ित-गवाह के अधिकार सुनिश्चित करना।

10. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में यह सहमति बनी कि इस विषय पर नए सिरे से कानून का मसौदा तैयार करने की जरूरत है जिसमें उल्लेखित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो। कार्यदल इस प्रयोजन हेतु कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करेगा।

……………